न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 102/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. सतवीर कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर जरिए मुखत्यारेआम नायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. बलवीर सिंह पुत्र भगत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 12.06.2024

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांकः 21.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 101/101 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 3.821 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी ने काश्त की सुविधा अनुसार सहमति बंटवारा कर रखा है। सहमति बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी अपने-अपने रकबा पर काश्त करते आ रहे है। बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 को चक 3 एक्स के खाता संख्या 100 व 101 में मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 12 की 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.233 हेक्टेयर, किला नम्बर 19/1 व 19/2 की 0.232 हैक्टेयर कुल 0.971 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है, शेष भूमि वादीगण को प्राप्त हुई है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादी को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर निस्तारण किया जावे। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मिसल पेशी में ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जिसके अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.233 हैक्टेयर, किला नम्बर 19/1 व 19/2 की 0.232 हैक्टेयर कुल 0.971 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिंह के कब्जा काश्त चक 3 एक्स के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.233 हैक्टेयर, किला नम्बर 19/1 व 19/2 की 0.232 हैक्टेयर कुल 0.971 हैक्टेयर भूमि को छोडकर शेष भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में हैं, तथा वादीगण के नाम उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित की जाती है। तो प्रतिवादी को काई एतराज नहीं है। अतः राजीनामा के अनुसार हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

आपत्ति एतराज नहीं है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में जवाबदावा सहमति का है। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र, राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 100/100 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.455 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 101/101 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 3.821 हैक्टेयर में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	सतवीर कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर (1.076हैक्टेयर) सुपेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर (3.229हैक्टेयर)	3 एक्स	22	1 ता 7	1.771 हैक्टेयर	बारानी	4.20
				8	0.063 हैक्टेयर	बारानी	0.15
				9	0.253 हैक्टेयर	बारानी	0.60
				10/1	0.063 हैक्टेयर	बारानी	0.15
				10/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.31
				11	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				14,17	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.50
				18	0.020 हैक्टेयर	नहरी	0.14
				19/2	0.021 हैक्टेयर	नहरी	0.15
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
2	बलवीर सिंह पुत्र भगत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.971 हैक्टेयर)	3 एक्स	22	12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				13	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				18	0.233 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				19/1	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.31
				19/2	0.042 हैक्टेयर	नहरी	0.29

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना करते हुए राशि राजकोष में जमा करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
श्री करणपुर